(3)

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-36/2021 /पटना, दिनांक-

प्रेषक,

राजीव कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

ई–मेल / स्पीड–पोस्ट

मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर ।

विषयः- श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई के विरूद्ध प्राप्त आरोप की जांचोपरान्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः- जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-530 दिनांक-31.01.2023, पत्रांक-3398 दिनांक-12.08.2022, 574 दिनांक-12.02.2024 एवं कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई का पत्रांक-478 दिनांक-28.02.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि श्रीमती रेखा देवी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, मसौढ़ी द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई (पैतृक विभाग-जल संसाधन विभाग) के विरूद्ध भ्रष्टाचार का आरोप प्रतिवेदित करते हुए प्रतिनियुक्ति रद्द किये जाने संबंधित अनुरोध के क्रम में जांचोंपरान्त स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग जल संसाधन विभाग द्वारा की गई है ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-1283 दिनांक-15.02.2023 के प्रसंग में कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई के पत्रांक-478 दिनांक-28.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''प्रमण्डलीय स्तर पर श्री भारती के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कार्यवाही तथा आरोप से संबंधित मामला नहीं चल रहा है । ये ससमय कार्यों का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टि के अनुरूप कराते आ रहे हैं । कनीय अभियन्ता के द्वारा मापपुस्त में अंकित Measurement एवं मात्रा(Quantity) का निरीक्षण करते आ रहे है । सरकार द्वारा चलायी जा रही 'जल-जीवन-हरियाली' एवं 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को समर्पित करते आ रहे हैं । इस तरह ये अपने कार्यों के प्रति सजग एवं जागरूक है ।''

अतएव श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-530 दिनांक-31.01.2023, पत्रांक-3398 दिनांक-12.08.2022, 574 दिनांक-12.02.2024 एवं कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई का पत्रांक-478 दिनांक-28.02.2023 की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है । अनुरोध है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई के विरूद्ध श्रीमती रेखा देवी, माननीय सदस्या, बिहार विधानसभा, मसौढ़ी द्वारा लगाये गये आरोप की जांच अपने स्तर से करते हुए स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(राजीव कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग ।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- 1084 /पटना, दिनांक- 29/02/24

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव(श्री कुमार)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

d:\official document 15.07.22\kamlesh ji file\official letter folder\official letter new format-12.02.2024.docx